

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:- प0 5(10)नविवि-II/2020

जयपुर, दिनांक:-

27 JUL 2020

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1954 एवं राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प0 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.2.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियम 24-ए उप नियम (II)(ए) के अन्तर्गत इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प0 8(22)नविआ/75 पार्ट दिनांक 18.5.2005 के द्वारा गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 22.7.2020 की अनुशंसानुसार निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ता को उपलब्ध अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के रिक्त पद पर वेतनमान 37400-67000 पी0बी0-4 एल-21 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी सर्व श्री	चयन वर्ष	विशेष विवरण
1	महेश आडा	2020-21	1.8.2020

उपरोक्त अभियन्ता उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पदोन्नत है। श्री महेश आडा, का पदोन्नति पर पदस्थापन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (विद्युत) के पद पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
4. परियोजना निदेशक, आर0यू0आई0डी0पी0 जयपुर
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, -----(समस्त)
7. संबंधित अधिशाषी अभियन्ता -----
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम